न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00460/2019/75

1. लादूराम पुत्र स्व0 चन्दनमल ब्राह्मण, निवासी ग्राम शिखरानी, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर ।
2. भूमि आवंटन/नियमन कमेटी जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भु—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 29.6.2018 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 44/2018.

उपस्थितः—

1. श्री शान्तिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 29.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.6.2018 को शिविर ग्राम पंचायत शिखरानी के समक्ष भूमि आवंटन/नियमन किये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिखरानी स्थित खसरा नंबर 2175/4511 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा जो वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है तथा जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 की जमाबंदी में लादू पुत्र चन्दनमल, जाति ब्राहमण के नाम दर्ज थी लेकिन बरवक्त सेटलमेंट सहवन से सिवायचक दर्ज हो गया जबकि विवादित आराजी पर आज दिनाक तक कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है । उक्त आराजी बाबत् उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने राजस्व वाद संख्या 10/2015 के तहत नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये है । अतः उक्त आराजी का आवंटन/नियमन कराने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 29.6.2018 को आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी मय आवंटन कमेटी ने प्रार्थी को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना कि निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थी विवादित आराजी पर पिछले 50 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा विवादित आराजी के पूर्व साबिक

खसरा नंबर 2675 में से प्रार्थी को 7 बीघा भूमि आवंटित की गई थी तथा जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में प्रार्थी गैर खातेदार के रूप में दर्ज था लेकिन वर्किंग जमाबंदी में भू–प्रबंध विभाग ने सहवन से आराजी को पुनः सिवायचक दर्ज कर दिया इसलिये प्रार्थी ने विवादित भूमि के हाल खसरा नंबर 2175/4511 के बाबत् उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत उक्त कथन को स्वीकार किया था । उक्त सभी को मध्य नजर रखते हुए वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 को आंशिक स्वीकार कर नियमन करने हेतु आवंटन कमेटी में भेजे जाने के आदेश पारित किये थे इसके बावजूद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आवंटन कमेटी ने खारिज करने में भारी भूल की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है कि वह किस तारीख का निर्णय है साथ ही राजस्व कैम्प जो ग्राम शिखरानी में आयोजित किया गया था वह दिनांक 28.6.2018 को ही था उस दिन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई लेकिन दिनांक 29.6.2018 को जिस दिन ग्राम शिखरानी में कोई कैम्प नही था उसके बावजूद तहसीलदार द्वारा मूल प्रार्थना पत्र बाद जांच उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को भेज दिया गया तथा अवांटन कमेटी ने उक्त प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त खसरा नंबर पैरा–फैरी क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को आवंटन कमेटी में रखे जाने के निर्देश दिये जाने के उपरांत प्रार्थना पत्र उक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा मय आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 29.6.2018 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी का आवंटन/नियमन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को विवादित आराजी का नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी मय आवंटन कमेटी ने प्रार्थी के द्वारा दिनांक 28.6.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई के खारिज कर दिया जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं थी । हाल ही में प्रार्थी ने माह अक्टूबर में उक्त प्रार्थन पत्र बाबत् जानकारी चाही तो अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र तो सभी निस्तारित कर दिये गये है जिस पर दिनांक 8.11.2019 को प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नकल लेने हेतु पेश किया जिस पर दिनांक 13.11.2019 को नकल प्राप्त होने पर संबंधित दस्तावेज एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम शिखरानी में अवस्थित है तथा ग्राम शिखरानी पैरा–फैरी में है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज है । वादी/अपीलांट का कब्जा केवल मात्र 4 बीघा 11 बिस्वा पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से है । विवादित भूमि पैरा–फैरी क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणागुण

पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष वाद संख्या 10/2015 बउनवान लादूराम बनाम राज0 सरकार पेश किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 16.2.2018 को आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नंबर 2175/4511 रकबा 4–11–00 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में उपयोग की होना मानकर वादी के प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष रखने के आदेश पारित किये थे । आवंटन कमेटी के समक्ष अपीलांट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आवंटन कमेटी ने विवादित आराजी के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि विवादित आराजी पैरा फैरी क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है । इस आधार पर अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । विवादित भूमि पैरा फैरी क्षेत्र में होने से विवादित भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर